रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244732
CG-DL-E-28032023-244732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1387] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945
No. 1387] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

**का.आ. 1440(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ), दिनांक 04.02.1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पुराने एनएच-2 (नया एनएच-19) के किमी. 0.000 से किमी. 334.00 (कानपुर से वाराणसी खंड) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खण्डों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (पुराना एनएच-2) के खंड डिजाइन किमी. 712.900 से किमी. 785.544 (मौजूदा किमी. 713.215 से किमी. 785.859) के लिए का.आ. 3815(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 देखें।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-19 के किमी 712.900 से किमी. 785.544 (लंबाई 72.644 किमी.) तक हंडिया-राजातालाब खंड तक (जिसे इसके पश्चात 'उक्त खण्ड' कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (टीओटी विधि) हेतु 08.06.2022 को प्रस्तुत बोली के लिए 18.03.2023 को मेसर्स काशी टोलवे प्रा. लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप नंबर, 206-207, प्लॉट नंबर बिल्डिंग एच-2, दूसरी मंजिल अपरा, नॉर्थ एक्स प्लाजा, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034 में है, (जिसे इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात 'करार' कहा गया है) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि. 950(अ), तारीख 03.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 15 अ), तारीख 12.01.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12.10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 [सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02.12.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14.03.2017], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(अ), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920(अ), तारीख 25.09.2018], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20.12.2019] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298(अ), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30.12.2020] के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोली नियत तिथि तक और अधिसूचना संख्या का.आ. 3815 (ई) दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गईं हैं या करने से लोप करा दी गईं हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 155.255 कि.मी. [जिसमें 63.465 कि.मी. की सड़क और 9.179 कि.मी. की सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 91.79 कि.मी. है] (निर्माण अवधि के दौरान) उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-19 के किमी 712.900 से किमी 785.544 (लंबाई 72.644 किमी.) तक चार और अधिक लेन खंड के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है), नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में

प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी:-

**सारणी-1**

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले ) | 4.20 |

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के विनिर्दिष्ट दूरी पर शोध्य और संदेय होगाः

| क्रम सं. | शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में लालानगर गांव के पास एनएच-19 (पुराना एनएच-2) के चेनेज किमी 746.760 (एलएचएस)/ 747.065 (आरएचएस) किमी पर | **63.465 कि.मी.** [9.179 कि.मी. लंबाई की संरचना को छोड़कर] | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः-

| शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में) | सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में) | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में लालानगर गांव के पास एनएच-19 (पुराना एनएच-2) के चेनेज किमी 746.760 (एलएचएस)/ 747.065 (आरएचएस) किमी पर | 9.179 | 91.79 | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

| क्रम सं. | चेनेज | | संरचना का प्रकार | कुल लंबाई (कि.मी. में) |
|---|---|---|---|---|
| | कि.मी. से | कि.मी. तक | | |
| 1 | कि.मी. 713.396 | कि.मी. 715.799 | एलिवेटेड वायाडक्ट | 2.403 |
| 2 | कि.मी. 722.089 | कि.मी. 723.843 | एलिवेटेड वायाडक्ट | 1.754 |
| 3 | कि.मी. 725.648 | कि.मी. 727.137 | एलिवेटेड वायाडक्ट | 1.489 |
| 4 | कि.मी. 740.291 | कि.मी. 742.409 | एलिवेटेड वायाडक्ट | 2.118 |
| 5 | कि.मी. 776.084 | कि.मी. 777.379 | एलिवेटेड वायाडक्ट | 1.295 |
| 6 | कि.मी. 784.235 | कि.मी. 784.355 | फ्लाईओवर | 0.120 |
| | | | **कुल लंबाई** | **9.179** |

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

| संदेय राशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
|---|---|---|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | भुगतान के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास या अधिक | भुगतान की दिनांक से एक माह |

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को निम्नानुसार बराबर शुल्क का भुगतान करना ।

| अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत | गुणक को आधार दर से गुणा करना | शुल्क |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0% से 20% | दो | [(नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क x (गुणक कारक) |
| >20% से 40% | चार | |
| >40% से 60% | छह | |
| >60% से 80% | आठ | |
| >80% और अधिक | दस | |

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार,प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात रियायत करार के प्रावधान एवं उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते कि शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/टीओटी डिवीजन/2022-23/शुल्क अधिसूचना/टीओटीबंडल9/ई-220741]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi the 28th March, 2023

**S.O. 1440(E).—**Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78 (E) dated 04.02.1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.000 to Km. 334.00 (Kanpur to Varanasi Section) of Old NH-2 (New NH-19) In the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorised Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O.No. 3815 (E) dated 23rd October, 2020 for the section design Km. 712.900 to Km. 785.544 (existing Km. 713.215 to Km. 785.859) of National Highway number 19 (old NH-2 ) in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Kashi Tollway Pvt. Ltd., having its registered office at Shop No, 206-207, Plot No. Building H-2, 2nd Floor Apra, North Ex Plaza, NetajiSubhash Palace, Pitampura, New Delhi - 110034, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), on 18.03.2023 for the bid submitted on 08.06.2022 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (ToT mode) of Handia - Rajatalab Section from Km 712.900 to Km 785.544 (length 72.644 km) of NH-19 in the state of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dated 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017] , The National Highways Fee (Determination of Rates

and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020],and any other amendments till bid due date and in supersession of the Notification Number S.O. No. 3815 (E) dated 23rd October, 2020 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 155.255 km [including 63.465 km road and 9.179 km of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 91.79 km] on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four and more lane section from Km 712.900 to Km 785.544 (length 72.644 km) of NH-19 in the state of Uttar Pradesh and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

**TABLE-1**

| **Type of vehicle** | **Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck ( Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for the distance specified for such Fee Plaza(s):

| Location of Fee Plaza | Length (in Km.) for which Fee is payable | Rate at which Fee is payable |
|---|---|---|
| At Ch. Km 746.760 (LHS)/ Km 747.065 (RHS) of NH-19 (old NH-2) near Village Lalanagar in Bhadohi District of State Uttar Pradesh | **63.465** (excluding structure length of 9.179 Km.) | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

| Location of Fee Plaza | Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km) | Rate at which Fee is payable |
|---|---|---|---|
| At Ch. Km 746.760 (LHS)/ Km747.065 (RHS) of NH-19 (old NH-2) near Village Lalanagar in Bhadohi District of State Uttar Pradesh | 9.179 | 91.79 | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |

The details of structures (> 60 m length) are as under:

| **Sl. No** | **Chainage** | | **Type of Structure** | **Total Length (Km.)** |
|---|---|---|---|---|
| | **From Km.** | **To Km.** | | |
| 1 | Km. 713.396 | Km. 715.799 | Elevated Viaduct | 2.403 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Km. 722.089 | Km. 723.843 | Elevated Viaduct | 1.754 |
| 3 | Km. 725.648 | Km. 727.137 | Elevated Viaduct | 1.489 |
| 4 | Km. 740.291 | Km. 742.409 | Elevated Viaduct | 2.118 |
| 5 | Km. 776.084 | Km. 777.379 | Elevated Viaduct | 1.295 |
| 6 | Km. 784.235 | Km. 784.355 | Flyover | 0.120 |
| | | | **Total Length** | **9.179** |

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315.00 (Rupees Three Hundred Fifteen only) for the year 2022-23 which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|---|---|---|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys | Fifty or more | One month from date of payment |

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway, to the user fee collecting agency, equal to fees as follows:

| **Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight** | **Multiplying Factor to the base rate** | **Fees** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0% to 20% | Two | [(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)] |
| >20% to 40% | Four | |
| >40% to 60% | Six | |
| >60% to 80% | Eight | |
| >80% and Above | Ten | |

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/TOTDivision/2022-23/FeeNotification/TOTBundle9/E-220741]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.03.28 22:08:30 +05'30'